UPRN010037612026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1476/2025

अनिल पनिल उर्फ बाबा पुत्र ननखू उम्र 45 वर्ष निवासी मकान सं०-83 कर्रही, थाना बर्रा, जिला कानपुर नगर।

--प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार। --अभियोजनपक्ष।

सत्र वाद सं०-77/2016
अ 0 सं0- 41/2016
धारा- 392,411 भारतीय दण्ड संहिता
थाना- मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

दिनांक-10.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अनिल पनिल उर्फ बाबा द्वारा मुकदमा अपराध सं०-41/2016 अंतर्गत धारा- 392,411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में पुलिस द्वारा गुड वर्क दिखाने के लिए झूठा व साजिशन के तहत फंसाया गया था उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त जिला कारागार माती से जमानत के आधार पर छूटने के बाद बीमार हो गया जिस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। दिनांक 12.11.2018 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ एन०बी०डब्लू० का आदेश पारित कर दिया जो नियत तिथियों पर निरंतर जारी रहा और माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के द्वारा दाखिल किये गये जमानतदारों को उन्मोचित कर दिया। अभियुक्त मु०अ०सं०-293/2021, थाना पनकी में दिनांक 10.04.2025 से जिला कारागार, कानपुर नगर में बंद है जो तलब होकर जिला कारागार कानपुर नगर से माननीय न्यायालय नियत तिथियों पर उपस्थित आ रहा है। मु०अ०सं०-293/2021, थाना पनकी में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मंजूर की जा चुकी है। अतः जमानत की याचना की गयी ।

3. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5. अभियुक्त के अनुसार उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व में हो चुकी है। अभियुक्त नियत तिथि को बीमार हो जाने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ पाया और माननीय न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध एन.बी.डब्लू. जारी कर दिया गया है। प्रार्थी दिनांक 25.08.2025 को जेरे हिरासत न्यायालय उपस्थित आया तब उसे न्यायालय द्वारा इस वाद में जेल भेज दिया गया तब से अभियुक्त जेल में है। अभियुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह भविष्य में उपस्थिति के संबंध में व्यतिक्रम नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में दिनांक 25.08.2025 से जेल में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता हैः-

क. प्रार्थी/अभियुक्त अनिल पनिल उर्फ बाबा को निर्देशित किया जाता है कि वह मुबलिग 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) के स्वबंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करे।

ख. प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय की अंडर टेकिंग दाखिल करे कि वह न्यायालय में नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, न्यायालय की कार्यवाहीं में सहयोग करेगा।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर-देहात।

दिनांक-10.07.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.10 16:15:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court